संख्या–3038 / **XXV**–02(1) / 2006

प्रेषक,

सचिव,
निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

निर्वाचन अनुभाग–1 **देहरादून** **दिनांक 20 मई, 2022**

विषय– 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के उप निर्वाचन–2022 के सम्पादनार्थ निर्वाचन कार्यो के सुव्यवस्थित संचालन एवं सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखाशीर्षक 800–00–201–00–00 (राज्य आकस्मिकता निधि) से प्राप्त बजट के सापेक्ष अनुदान संख्या–05, लेखाशीर्षक–2015, निर्वाचन आयोजनेत्तर, के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आपकी मांग के अनुसार कुल **₹1,27,50,000.00 (₹एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार)** मात्र की धनराशि संलग्न अलॉउटमेन्ट आईडी / विवरण के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि व्यय भारत / राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त व्यय भारत सरकार / राज्य सरकार के मितव्ययता एवं तद्विषयक अन्य समस्त आदेशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। व्यय केवल उसी मद / कार्य में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

3– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न विवरण के अनुसार इन्टरनेट के माध्यम से बजट आवंटित किया जा चुका है, तदनुसार कोषागार से इसकी पुष्टि सुनिश्चित कर ली जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक 800–00–201–00–00 (राज्य आकस्मिकता निधि) अनुदान संख्या–05 लेखाशीर्षक, 2015–निर्वाचन आयोजनेत्तर के संलग्नकों में उल्लिखित उप–लेखाशीर्षकों की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–02 / मतदेय /XXvii(5)/2022-23 दिनांक 19 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या – 3038 /XXV-862(1)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
6– विभागीय प्रति।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या–3038 / **XXV**–02(1) / 2006

प्रेषक,

सचिव,
निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

निर्वाचन अनुभाग–1 **देहरादून** **दिनांक** **20 मई, 2022**

विषय– 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के उप निर्वाचन–2022 के सम्पादनार्थ निर्वाचन कार्यो के सुव्यवस्थित संचालन एवं सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखाशीर्षक 800–00–201–00–00 (राज्य आकस्मिकता निधि) से प्राप्त बजट के सापेक्ष अनुदान संख्या–05, लेखाशीर्षक–2015, निर्वाचन आयोजनेत्तर, के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आपकी मांग के अनुसार कुल **₹1,27,50,000.00 (₹एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार)** मात्र की धनराशि संलग्न अलॉउटमेन्ट आईडी / विवरण के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि व्यय भारत / राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त व्यय भारत सरकार / राज्य सरकार के मितव्ययता एवं तद्विषयक अन्य समस्त आदेशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। व्यय केवल उसी मद / कार्य में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

3– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न विवरण के अनुसार इन्टरनेट के माध्यम से बजट आवंटित किया जा चुका है, तदनुसार कोषागार से इसकी पुष्टि सुनिश्चित कर ली जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक 800–00–201–00–00 (राज्य आकस्मिकता निधि) अनुदान संख्या–05 लेखाशीर्षक, 2015–निर्वाचन आयोजनेत्तर के संलग्नकों में उल्लिखित उप–लेखाशीर्षकों की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–02 / मतदेय /xxvii(5)/2022-23 दिनांक 19 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या – 3038 /XXV-862(1)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
6– विभागीय प्रति।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Chief Electoral Officer(2965)

Treasury-Champawat(8800)

DDO-Assistant District Election Officer Champawat(2964)

आवंटन पत्र संख्या -3038/XXV-02(1)/2006 आवंटन आई डी-H2205PAC0001
अनुदान संख्या-PAC आवंटन पत्र दिनांक-20-MAY-2022

लेखा शीर्षक 8000-आकस्मिकता निधि 00---
201-समेकित निधि से विनियोग 00-CONTINGENCY FUND
00-- Voted

कनेक्ट अनुदान संख्या-005

8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
2	0	1	5	0	0	1	0	6	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
02-मजदूरी	0	150000	0	150000
04-यात्रा व्यय	0	1500000	0	1500000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	600000	0	600000
22-कार्यालय व्यय	0	6000000	0	6000000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	200000	0	200000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	100000	0	100000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	4000000	0	4000000
42-अन्य विभागीय व्यय	0	200000	0	200000
योग	0	12750000	0	12750000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,27,50,000 (Rupees One Crore Twenty Seven Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2965:2965:2205:0004
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– 3059 /XXV–02(1)/2006

सहमत
19.5.22
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

अपर सचिव,
निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 19 मई, 2022

विषय– 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन–2022 से संबंधित देयकों के भुगतान हेतु राज्य आकस्मिक निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन–2022 के सफल सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण निर्वाचन जैसे समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्यो के दृष्टिगत अपरिहार्य परिस्थिति में **₹2,00,00,000.00 (₹दो करोड़)** मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि व्यय भारत/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार के मितव्ययता एवं तद्विषयक अन्य समस्त आदेशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। व्यय केवल उसी मद/कार्य में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति उक्त धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में ही अनुपूरक बजट के अनुसार नियमानुसार समायोजन किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रथमतः लेखाशीर्षक 800–आकस्मिकता निधि–आकस्मिकता निधि लेखा–201, समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–05–लेखाशीर्षक, 2015–निर्वाचन आयोजनेत्तर के की संलग्न में उपलेखाशीर्षकों में इंगित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या– 02/M0094 /XXvii(5) /2022-23 दिनांक 19 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सी.रविशंकर)
अपर सचिव,
निर्वाचन।

संख्या– 50 /रा0आ0नि0/XXVII-(1)/2022 दिनांक 19 मई, 2022.

प्रतिलिपि महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ उत्तराखण्ड।

आज्ञा से–

अपर सचिव,
वित्त।

संख्या – 3059 /XXV-862(1)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (ऑडिट) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़,देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मा0 मुख्यमंत्री जी, के संज्ञानार्थ
3– स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
5– वित्त अनुभाग–1 एवं अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन।
6– विभागीय प्रति।

आज्ञा से–

(सी.रविशंकर)
अपर सचिव,
निर्वाचन।

संख्या – 3059 /XXV-862(1)/2006 19 मई, 2022 का संलग्नक

राज्य आकस्मिक निधि से स्वीकृत बजट का विवरण

अनुदान संख्या–05 लेखाशीर्षक 2015–निर्वाचन आयोजनेत्तर 106–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 05–उप निर्वाचन राज्य विधान सभा

क्र0 स0	मानक मद संख्या	राज्य आकस्मिक निधि से अतिरिक्त आवश्यकता
1	02–मजदूरी	2,00,000.00
2	04–यात्रा व्यय	20,00,000.00
3	20–लेखन सामग्री एवं छपाई	12,00,000.00
4	22– कार्यालय व्यय	1,00,00,000.00
5	24–विज्ञापन बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	4,00,000.00
6	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	1,00,000.00
7	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर व अनुरक्षण	1,00,000.00
8	29–गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	40,00,000.00
9	42– अन्य विभागीय व्यय	20,00,000.00
	योग (दो करोड़ मात्र)	**2,00,00,000.00**

(सी.रविशंकर)
अपर सचिव,
निर्वाचन।